

पृष्ठ 23 to 23.4

Form-I  
(for linear Project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Bageshwar

No-----Memo-8/2dy

Dated-----19-12-2014

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03. Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5<sup>th</sup> Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.115 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Jalthakot-Chamarthal-Kimoli motor road in Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Jalthakot, Kholakhet, Simtoli, Bintoli and Kimoli Village in Bageshwar Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.115 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 **(Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.)**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;----- **(Not applicable, as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.)**
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclose – as above

Dated 19-12-2014

Signature

(Bhupal Singh Manral,  
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम किमोली  
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.385 है० आरक्षित वन भूमि, 1.855 है० सिविल सोयम भूमि, 0.875 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.115 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किमोली द्वारा दिनांक 30/11/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र- 14/11/14  
विकास खण्ड- चमड़थल

ह०/

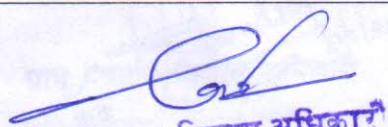
दीपादेवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत किमोली  
वि.सं. बागेश्वर जनपद-बागेश्वर

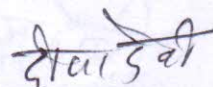
नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 30.1.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत किमोली

| क्र० सं० | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर       |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1-       | नन्दन सिंह                                       | नन्दन सिंह      |
| 2        | Moham Singh                                      | Moham Singh     |
| 3        | दुर्गा सिंह                                      | दुर्गा सिंह     |
| 4        | कुन्दन सिंह                                      | कुन्दन सिंह     |
| 5        | सुन्दर सिंह                                      | सुन्दर सिंह     |
| 6        | रमेश सिंह                                        | रमेश सिंह       |
| 7        | लक्ष्मण सिंह                                     | लक्ष्मण सिंह    |
| 8        | रमेश सिंह                                        | रमेश सिंह       |
| 9        | रमेश सिंह                                        | रमेश सिंह       |
| 10       | वडा दुर्गा सिंह                                  | वडा दुर्गा सिंह |
| 11       | आनन्द सिंह                                       | आनन्द सिंह      |
| 12       | अमृत सिंह                                        | अमृत सिंह       |
| 13       | बालम सिंह                                        | बालम सिंह       |
| 14       | चन्द्र सिंह                                      | चन्द्र सिंह     |

  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र- 5/अ/किमोली  
विकास खण्ड- 91/29

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत किमोली  
व.ख.बागेश्वर जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खोलाखेत  
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.385 है० आरक्षित वन भूमि, 1.855 है० सिविल सोयम भूमि, 0.875 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.115 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

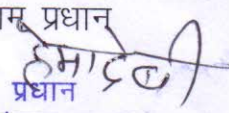
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खोलाखेत द्वारा दिनांक 29.11.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खोलाखेत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/  
ग्राम सचिव

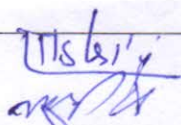
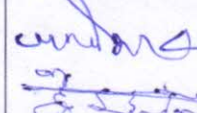
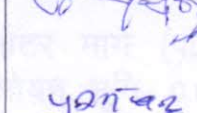
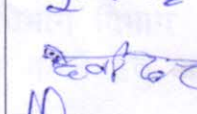
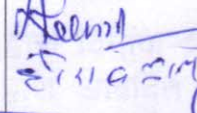
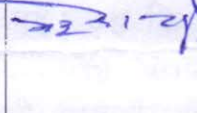
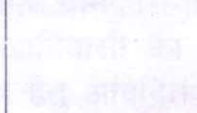
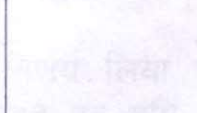
  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र बागेश्वर जनपद बागेश्वर  
दिनांक 01/12/2015

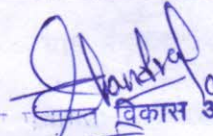
ह०/  
ग्राम प्रधान  
  
प्रधान

नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की किसी भूमि पर आपत्ति होती है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उपजिल्हाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 29.11.14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खोलाखेत

| क्र० सं० | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम                                                                                | हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | कमल कोडाई<br>मान-सु बेबाई बेबाई<br>जयचंद<br>हेमचंद्र<br>पुनचंद्र<br>देवीचंद<br>केलमानसु पंत<br>हीराचंदम बेबाई<br>महेश चंद बेबाई | <br><br><br><br><br><br><br><br> |

  
विकास अधिकारी  
काठ  
वि०ख०-बागेश्वर जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जल्थाकोट  
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.385 है० आरक्षित वन भूमि, 1.855 है० सिविल सोयम भूमि, 0.875 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.115 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जल्थाकोट द्वारा दिनांक 28.11.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जल्थाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/  
ग्राम सचिव

  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र जल्थाकोट  
वि०ख०-बागेश्वर जनपद-बागेश्वर

ह०/ प्रधान निर्मा देवी  
ग्राम प्रधान जल्थाकोट  
वि०ख० बागेश्वर जिला-बागेश्वर

नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 28-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जल्थाकोट

| क्र०<br>सं० | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम                                 | हस्ताक्षर                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| १           | प्रवीण तिवारी<br>मुवा-क-५<br>गणेश राव<br>शुभ<br>नीमा देवी<br>रमेश चन्द - बन्वोला | प्रवीण तिवारी<br>मुवा-क-५<br>गणेश राव<br>शुभ<br>नीमा देवी<br>रमेश चन्द |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र..... जिलाकाठ.....  
वि०ख०-बागेश्वर जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमतोली  
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.385 है० आरक्षित वन भूमि, 1.855 है० सिविल सोयम भूमि, 0.875 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.115 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमतोली द्वारा दिनांक 2012-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिमतोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/  
ग्राम सचिव

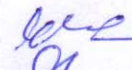
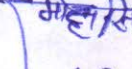
  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र सिमतोली - I  
वि०ख०-बागेश्वर जनपद-बागेश्वर

ह०/  
ग्राम प्रधान

नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक...2-12-14...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमतोली

| क्र० सं०                                                                                                                                                                           | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-                                                                                                                                                                                 | जिवन सिंह दफोरी                                  |                        |
| 2                                                                                                                                                                                  | मेचिंद सिंह                                      |                        |
| 3-                                                                                                                                                                                 | शक्ति सिंह                                       |                        |
| 4                                                                                                                                                                                  | गोविंद                                           |                        |
| 5.                                                                                                                                                                                 | गिराज                                            |                        |
| 6-                                                                                                                                                                                 | मोहन सिंह लोधी                                   |                        |
| 7.                                                                                                                                                                                 | Gopal Gulab Singh Daffori                        | <br>Color G.S. Daffori |
| <p><br/>ग्राम पंचायत विकास अधिकारी<br/>क्षेत्र...सिमताली-I<br/>वि०ख०-बागेश्वर जनपद-बागेश्वर</p> |                                                  |                                                                                                           |

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.385 है० आरक्षित वनभूमि, 1.855 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 0.875 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 3.115 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 19.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

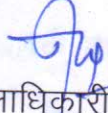
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

|    |                      |                           |            |
|----|----------------------|---------------------------|------------|
| 1- | श्री फिचाराम चौहान   | उपजिलाधिकारी              | अध्यक्ष    |
| 2- | श्री एस०एन० त्रिपाठी | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य      |
| 3- | श्री खडक सिंह रावत   | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्रीमती जादवी काकोरी | बी०डी०सी० क्षेत्र चुरना   | सदस्य      |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 3.115 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 3.115 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील बागेश्वर  
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील बागेश्वर  
जनपद बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

|    |                              |             |
|----|------------------------------|-------------|
| 1- | जिलाधिकारी, बागेश्वर         | अध्यक्ष     |
| 2- | प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर | सदस्य       |
| 3- | जिला पंचायत सदस्य            | सदस्य       |
| 4- | जिला समाज कल्याण अधिकारी     | सदस्य/ सचिव |

आज दिनांक 19-12-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 19-12-14 द्वारा जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के लिए 3.115 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के लिए 3.115 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के लिए 3.115 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर

जिलाधिकारी  
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित जल्थाकोट-चमड़थल किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 3.115 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 19-12-2014

(भूपाल सिंह मनराल)

जिलाधिकारी

बागेश्वर

मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 3.115 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/ 98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर  
मुहर